2021 का विधेयक संख्यांक 125

[दि नेशनल कमीशन फार इंडियन सिस्टम आफ मेडिसीन (अमेंडमेंट) बिल, 2021 का हिन्दी अनुवाद]

राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) विधेयक, 2021

राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 का और संशोधन करने के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ ।

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2021 है ।

(2) यह तुरंत प्रवृत्त होगा ।

धारा 58 का संशोधन ।

2. राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 58 की उपधारा (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात् :— 2020 का 14

"(5) भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2020 द्वारा यथा अंत:स्थापित भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 की धारा 3क के अधीन केंद्रीय परिषद् के पुनर्गठन की अवधि के अवसान के होते हुए भी, उस धारा की उपधारा (4), जिसे भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2021 द्वारा संशोधित किया गया था, के अधीन गठित शासी बोर्ड द्वारा किए गए सभी कृत्य और निरसित अधिनियम के अधीन केंद्रीय परिषद् द्वारा प्रयोग की गई सभी शक्तियां और किए गए सभी कृत्य इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन किए गए समझे जाएंगे तथा तदनुसार तब तक प्रवृत्त रहेंगे जब तक कि उनका इस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रमण नहीं कर दिया जाता है ।"। 1970 का 48 2020 का 25 2021 का अध्यादेश सं० 5

उद्देश्यों और कारणों का कथन

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (1970 का 48), जिसका अधिनियमन भारतीय चिकित्सा की केंद्रीय परिषद् के गठन और भारतीय चिकित्सा का केंद्रीय रजिस्टर रखने तथा उसे संबंधित विषयों का उपबंध करने के लिए किया गया था, को राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 (2020 का 14) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है ।

2. ऐसे अधिनियमन के पूर्व तथा संसद् में राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 को पुर:स्थापित करने के पश्चात्, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अपने उत्तरदायित्व निभाने में असफल हो गई तथा भारतीय चिकित्सा की शिक्षा और व्यवसाय के मानकों के सुरक्षापायों के लिए अपेक्षित रीति में अपने कर्तव्यों के कार्यान्वयन में केंद्रीय सरकार को स्वेच्छापूर्वक सहयोग नहीं किया । इसलिए, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 (निरसित अधिनियम) का संशोधन भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अधिनियम, 2020 (2020 का 25) द्वारा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् को अधिक्रांत करने तथा निरसित अधिनियम के अधीन एक वर्ष की अवधि के भीतर केंद्रीय परिषद् का पुनर्गठन न होने तक केंद्रीय परिषद् की शक्तियों का प्रयोग तथा कृत्यों को करने के लिए शासी बोर्ड का गठन करने हेतु केंद्रीय सरकार को सशक्त करने के लिए किया गया ।

3. यद्यपि, राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 का अधिनियमन 20 सितंबर, 2020 को किया गया, राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग का गठन उक्त अधिनियम के अधीन तुरंत नहीं किया जा सका क्योंकि उक्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति तथा नामनिर्देशन तथा आयोग के सचिवालय के लिए कर्मचारिवृंद की भर्ती में कुछ समय लग रहा था । इसके अतिरिक्त, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 का निरसन नहीं किया गया था । चूंकि, शासी बोर्ड शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए निरीक्षण करने की प्रक्रिया में था तथा इसके कार्यकाल का अंत 23 अप्रैल, 2021 को हो रहा था, केंद्रीय परिषद् के पुनर्गठन की अवधि को एक वर्ष से दो वर्ष तक और बढ़ाने के लिए विधान की तुरंत आवश्यकता थी । इसलिए, भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् (संशोधन) अध्यादेश, 2021 (2021 का अध्यादेश 5) का प्रख्यापन इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 22 अप्रैल, 2021 को किया गया ।

4. राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग का गठन 11 जून, 2021 को किया गया तथा उसी तारीख को भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् अधिनियम, 1970 का निरसन किया गया तथा भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद् को अधिक्रांत किया गया । यद्यपि, यह विनिश्चय किया गया कि उक्त अधिनियम के निरसन के पश्चात्, पूर्वोक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिए संसद्. के समक्ष एक प्रतिस्थापन विधेयक लाना उचित नहीं है, तो भी, उक्त अधिनियम के निरसन की तारीख तक उक्त अध्यादेश के अधीन शासी बोर्ड द्वारा की गई कार्रवाई की व्यावृत्ति अपेक्षित है ।

5. इसलिए, राष्ट्रीय भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 के प्रारंभ के तुरंत पूर्व शासी बोर्ड द्वारा किए गए सभी कृत्य और निरसित अधिनियम के अधीन केंद्रीय परिषद् द्वारा प्रयोग की गई सभी शक्तियां और किए गए सभी कर्तव्य उस अधिनियम के अधीन किए गए समझे जाएंगे तथा तदनुसार तब तक प्रवृत रहेंगे जब तक कि उनका उस अधिनियम के अधीन की गई किसी बात या की गई किसी कार्रवाई द्वारा अधिक्रमण नहीं कर दिया जाता है, का उपबंध करने के लिए राष्ट्रीय

भारतीय आयुर्विज्ञान प्रणाली आयोग अधिनियम, 2020 की धारा 58 में एक नई उपधारा (5) अंत:स्थापित करके उसका संशोधन करने का प्रस्ताव है ।

6. विधेयक पूर्वोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए है ।

नई दिल्ली ; **सर्बानंद सोनोवाल**

4 अगस्त, 2021

वित्तीय ज्ञापन

विधेयक के उपबंध में भारत की संचित निधि से किसी आवर्ती या अनावर्ती प्रकृति का व्यय अन्तर्वलित नहीं है ।